अध्याय VI

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

6.1 यह अच्छी तरह से मानी हुई बात है कि वित्तीय मध्यस्थक संस्थाओं के रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की भूमिका बैंकों की भूमिका से अलग होती है। अधिकतर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अच्छा-खासा सुपरिभाषित व्यवसाय है जो किफायती रूप में विशेष वर्ग के ग्राहकों को सेवा देती हैं। तथापि, उनमें से कुछ कंपनियां अत्यधिक विशाखीकृत संविभागवाली होती हैं। उनके तुलनपत्रों का देयता पक्ष भी संमिश्र स्वरूप को दर्शाता है जो मुख्यतः उनकी विशेष नवोन्मेषी योजनाओं, ब्याज दर प्रीमिया और बड़ी मात्रा में संग्रहण के प्रयास द्वारा संचालित होता है। नब्बे के दशक में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की प्रचुरता हो जाने से उनके विनियमन में अन्तराल आ गया जिसे पाटने के लिए जनवरी 1997 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन किया गया। इसके बाद कई विनियमन जारी किये गये जिनका उद्देश्य था - बैंकों के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक परिवेश में एकरूपता लाना और जमाकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बाद में किये गये विनियामक उपायों में अनिवार्य पंजीकरण, विवेकपूर्ण विनियमन, निवेश मानदंड, प्रकटीकरण के मानक, पर्यवेक्षी निरीक्षण को मजबूत करना, आदि जैसे विषय शामिल थे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को सख्त बनाने के किये गये उपायों के साथ-साथ तेजी-से उत्पाद विकास और विशाखीकरण, वित्तीय क्षेत्र में समेकन की प्रवृत्तियों का संकेत देते हुए प्रौद्योगिकी में आमूल परिवर्तन आया।

6.2 सुदृढ़ता के संकेतक जैसे पूंजीकरण, आस्ति-गुणवत्ता, व्यवसाय कार्य-निष्पादन और निर्वहनीयता की दृष्टि से सुधार स्पष्ट दिखायी देते हैं। जहां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रकार के अनुसार जमाराशि धारण के संकेन्द्रण में बहुत बड़े परिवर्तन नहीं दर्शाये हैं, वहीं आकारवार वितरण और सार्वजनिक जमाराशि के क्षेत्रीय विस्तार में काफी सुधार हुआ है। तथापि, ऐसे सुधारों के साथ ही विलयन, समापन और पंजीकरण प्रमाणपत्र के निरस्तीकरण एवं गैर-सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधि में परिवर्तित कर दिये जाने के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के समेकन के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के तुलन-पत्र के आकार में तदनुरूपी कमी आयी है। फिर भी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की लाभप्रदता और कार्यक्षमता के संकेतकों में लगातार पिछले दो वर्षों अर्थात 2000-01 और 2001-02 में दर्ज हानि के विपरीत सुधार हुआ है।

2. रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां

6.3 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मोटे तौर पर उनकी प्रमुख गतिविधियों के आधार पर विविध श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III आ के अनुसार रिज़र्व बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। रिज़र्व बैंक ने अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियों का विनियमन करने के लिए निदेशों का एक सेट बनाया है। इन निदेशों का लक्ष्य है चार श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, ऋण और निवेश कंपनियों की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियों और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाराशि और व्यावसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वर्षों से उनका व्यवसाय विकसित किसी अन्य परिभाषित श्रेणी की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के व्यवसाय के अनुरूप नहीं होता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के कतिपय अन्य प्रकार या तो अंशतः रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित या रिज़र्व बैंक के विनियमन के क्षेत्र से बाहर होते हैं।

6.4 विविध प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियामक क्षेत्राधिकार सारणी VI.1 में स्पष्ट किया गया है।

3. पंजीकरण

6.5 भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि[1] की सांविधिक अपेक्षा उस समय विद्यमान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए 25 लाख रुपये तथा 21 अप्रैल 1999 को या उसके बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक नयी गैबैविकं के लिए 2 करोड़ रुपये निर्दिष्ट की गयी थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 में दी गयी तीन वर्ष की अवधि 9 जनवरी 2000 को समाप्त हो गयी।

[1] गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियों में कुल प्रदत्त पूंजी और भार-रहित प्रारक्षित भंडार शामिल हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं (i) संचित शेष हानि की राशि, (ii) आस्थगित राजस्व व्यय तथा अन्य अमूर्त आस्तियां, यदि कोई हों, तथा (क) सहायक संस्थाओं, (ख) उसी समूह की कम्पनियां, (ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश द्वारा और कम की गयी राशि तथा (क) सहायक संस्थाओं तथा (ख) उसी समूह की कम्पनियों को स्वाधिकृत निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक के ऋण और अग्रिम।

सारणी VI.1: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियामक प्राधिकरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का प्रकार		विनियामक प्राधिकरण का नाम
1		2
1.	उपस्कर पट्टा कंपनियां	भारतीय रिज़र्व बैंक
2.	किराया खरीद वित्त कंपनियां	भारतीय रिज़र्व बैंक
3.	ऋण कंपनियां	भारतीय रिज़र्व बैंक
4.	निवेश कंपनियां	भारतीय रिज़र्व बैंक
5.	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	भारतीय रिज़र्व बैंक
6.	विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (चिट फंड)	भारतीय रिज़र्व बैंक * और संबंधित राज्य के चिट रजिस्ट्रार
7.	पारस्परिक लाभवाली वित्त कंपनियां (निधि और संभाव्य निधि)	भारत सरकार का कंपनी कार्य विभाग#
8.	माइक्रो वित्त कंपनियां	भारत सरकार का कंपनी कार्य विभाग#
9.	आवास वित्त कंपनियां	राष्ट्रीय आवास बैंक
10.	बीमा कंपनियां	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
11.	स्टाक ब्रोकिंग कंपनियां	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
12.	मर्चंट बैंकिंग कंपनियां	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

* केवल जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधि । # भारत सरकार

रिज़र्व बैंक द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार स्वविवेक पर दी गयी और तीन वर्षों की अवधि भी 9 जनवरी 2003 को समाप्त हो गयी है।

6.6 जून 2004 के अंत तक पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कुल 38,050 आवेदनपत्र प्राप्त हुए। बैंक ने इनमें से 13,671 आवेदनपत्रों को अनुमोदन दिया जिनमें सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/धारित करने के लिए प्राधिकृत कंपनियों के 584 आवेदनपत्र शामिल हैं (सारणी VI.2)।

6.7 सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली ऐसी सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, को जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अस्वीकार किये गये हैं या रद्द किये गये हैं, जो नयी जमाराशि स्वीकार नहीं कर सकती हैं या अवधिपूर्ण होनेवाली जमाराशियों का नवीकरण नहीं कर सकती हैं, देय तारीखों पर जमाराशियां चुकाते रहना चाहिए और उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन रद्द किये जाने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर अपनी वित्तीय आस्तियों का निपटान कर देना चाहिए। इस प्रकार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या घटती जा रही है जो कि विलयन, समापन और लाइसेंस रद्द करने के रूप में दिखाई देती है। इसके अलावा, गैर-सार्वजनिक जमा स्वीकार करनेवाली गतिविधि के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण भी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली कंपनियों की संख्या कम हो गयी है।

सारणी VI.2: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र

जून के अंत में	सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
1	2	3
1999	7,855	624
2000	8,451	679
2001	13,815	776
2002	14,077	784
2003	13,849	710
2004	13,671	584

टिप्पणी : संख्या में आयी इस कमी का कारण है - पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करना। जमाराशि स्वीकार करनेवाली कंपनी से जमाराशि स्वीकार न करनेवाली कंपनी में परिवर्तन, विलयन/समामेलन, आदि।

4. पर्यवेक्षण

6.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी ढांचा चार सूत्री नीति पर खड़ा है जिसकी परिधि में आते हैं (क) केमल्स पद्धति पर आधारित प्रत्यक्ष (आन-साईट) निरीक्षण; (ख) स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नालॉजी से समर्थित अप्रत्यक्ष (ऑफ साइट) निगरानी; (ग) बाजार आसूचना और (घ) सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद स्वरूप रिपोर्टें।

6.9 आरएनबीसी सहित एनबीएफसी की पूंजी बाजार से संबद्धता पर बारीकी से निगरानी रखने के लिए जनता से प्राप्त 50 करोड़ रुपये और अधिक की जमाराशियां रखने वाली कंमनियों के लिए तिमाही सूचना देने, की एक प्रणाली प्रारंभ की गयी जिसे बाद में बदल कर मासिक कर दिया गया। पूंजी बाजार से बड़े ऋण लिये जाने के मामले में कंपनियों से निधि आगम विवरण भी प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

6.10 सर्वांगीण जोखिम से संबंधित मुद्दों पर विचार करने तथा वित्तीय संकेंद्रणों के कार्यों पर निगरानी रखने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने ऐसी संस्थाओं के लिए एक सूचना देने संबंधी ढांचा निर्दिष्ट किया है । निर्दिष्ट विनियामकों (रिज़र्व बैंक, सेबी, इर्डा के कार्यक्षेत्र के अधीन एक से अधिक वित्तीय घटकों में उल्लेखनीय उपस्थिति वाली संस्थाएं इस ढांचे के अंतर्गत लायी गयी हैं। सूचना देने की इस व्यवस्था के अधीन एनबीएफसी से अपेक्षित है कि वे अपने आंतर समूह संबंधों पर आवधिक अंतरालों पर विवरणियां प्रस्तुत करें।

6.11 हाल ही में ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए, जो सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार/धारण नहीं कर रही हैं और जिनका आस्तियों का आकर 31 मार्च 2004 को 500 करोड़ रु. और उससे अधिक है, एक तिमाही सूचना प्रणाली शुरू की गयी है।

6.12 जुलाई 2003 से जून 2004 के दौरान कुल 705 पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (368 सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार करनेवाली कंपनियां और 337 जमाराशि स्वीकार न करनेवाली कंपनियों) का निरीक्षण किया गया। रिज़र्व बैंक ने इसी अवधि के दौरान इन निरीक्षणों के अलावा 372 संक्षिप्त संवीक्षा (स्नैप स्क्रूटिनी) भी कीं।

5. नीतिगत गतिविधियां

6.13 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में नीतिगत उपायों का समेकन 2003-04 में जारी रहा। कुछ महत्त्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं, (i) आस्ति देयता प्रबंध से संबंधित विवरणियों का सरलीकरण और पूंजी बाजार के प्रति निवेश जोखिम, (ii) ब्याज दरों की एकरूपता; (iii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज वसूली की क्रियाविधियों का सरलीकरण, (iv) बुनियादी सुविधा संबंधी परियोजनाओं के प्रति निवेश जोखिम के संबंध में बैंकिंग क्षेत्र के साथ विनियामक मानदंडों की एकरूपता, (v) नामांकन सुविधाओं में क्रियाविधिगत परिवर्तन, (vi) अपने ग्राहक को जानने संबंधी नीति का प्रचलन, (vii) बीमा एजेंसी व्यवसाय शुरू करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुमति देना, (viii) वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में कानूनी उपाय और (ix) प्रतिभूतिकरण कंपनियों एवं पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।

6.14 जुलाई 2003 से जून 2004 तक की अवधि के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू नीति में किये गये मुख्य परिवर्तनों की रूपरेखा नीचे दी गयी है।

ब्याज दरें

6.15 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए निर्देशित ब्याज दर नीति का उद्देश्य रहा है - बैंकिंग क्षेत्र की ब्याज दरों के अनुरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र की ब्याज दरें निर्धारित करना। (क) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (निधि कंपनियों और चिट फंड कंपनियों सहित) द्वारा अदा की जानेवाली अधिकतम ब्याज दर 11.00 वार्षिक पर अपरिवर्तित है (4 मार्च 2003 से लागू); (ख) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा अदा की जानेवाली न्यूनतम ब्याज दर भी अपरिवर्तित रही एकमुश्त या मासिक आधार पर अथवा दीर्घावधिक अंतराल पर रखी गयी जमाराशियों पर प्रति वर्ष पांच प्रतिशत (जिसकी वार्षिक रूप से चक्र वृद्धि की जायेगी); और दैनिक जमाराशि योजनाओं (1 अप्रैल 2003 से प्रभावी) के अधीन रखी गयी जमा राशि पर प्रति वर्ष साढ़े तीन प्रतिशत (जिसकी वार्षिक रूप से चक्र वृद्धि की जाएगी); (ग) समग्र वित्तीय प्रणाली में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्वीकार की जानेवाली नयी प्रत्यावर्तनीय जमाराशियों पर प्रचलित ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए 17 सितंबर 2003 से ऐसी जमाराशियों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा अदा की जानेवाली ब्याज दर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा ऐसी जमाराशियों पर अदा की जानेवाली ब्याज दर के अनुरूप की गयी। जब कभी रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर लागू ब्याज दर में संशोधन किया जायेगा, तब इसी तरह से वह दर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर स्वीकार की गयी अनिवासी भारतीय जमाराशियों पर भी लागू होगी। 24 अप्रैल 2004 से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पहले से स्वीकार की गयी जमाराशियों के नवीकरण के अलावा नयी अनिवासी भारतीय जमाराशि स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

आस्ति-देयता -प्रबंध

6.16 जून 2001 में जारी आस्ति-देयता प्रबंध संबंधी दिशा-निर्देश 31 मार्च 2002 से पूर्णरूपेण परिचालन में आ गये हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सितंबर 2002 की पहली आस्ति देयता प्रबंध विवरणी 31 अक्तूबर 2002 तक रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी। उसके बाद ये विवरणियां नियमित रूप से छमाही आधार पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन : सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली

6.17 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को पहले ही निदेश दिया गया है कि वे सरकारी प्रतिभूतियों को डीमैट करायें। ऐसी कुछ सरकारी प्रतिभूतियां और सरकारी गारंटीवाले बाण्ड जिन्हें उनके निर्गमकर्ता द्वारा डीमैट नहीं किया गया है और इस समय प्रत्यक्ष रूप में धारित किये गये हैं, उन्हें ब्याज की वसूली के उद्देश्य से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने प्राधिकृत बैंकरों की सुरक्षित अभिरक्षा से निकाला जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद बैंकों के पास फिर से जमा किया जा रहा है। इन प्रतिभूतियों को निकालने और फिर से जमा करने की प्रक्रिया से बचने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे प्रत्यक्ष रूप में धारित इन प्रतिभूतियों पर नियत तारीख को ब्याज वसूली करने और सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उनके पक्ष में मुख्तारनामा का प्रयोग करते हुए अपने निर्दिष्ट बैंकों को एजेंट के रूप में प्राधिकृत करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमावली में संशोधन : बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए निवेश जोखिम

6.18 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू विवेकपूर्ण मानदंडों को संशोधित किया गया और उन्हें विशेषतः बुनियादी संरचना संबंधी

परियोजनाओं के बारे में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए लागू मानदंडों के अनुरूप बनाया गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमाराशियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क्यूबी के अंतर्गत नामन संबंधी नियमावली

6.19 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके यह निर्णय लिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेड़ए के अधीन बनायी गयी बैंककारी कंपनी (नामन) नियमावली, 1985 अपना सकती हैं। तदनुसार, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ता / जमाकर्ताओं को अनुमति है कि वे एक व्यक्ति को नामित करें जिसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जमाकर्ता / जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जमाराशि वापस लौटा सकें । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जुलाई 2003 में सूचित किया गया था कि वे उक्त नियमों के अंतर्गत निर्धारित एक फार्म अर्थात नामन के प्रयोजन के लिए फार्म डीए1 और नामन के निरस्तीकरण तथा नामन में परिवर्तन के लिए क्रमशः फार्म डीए 2 और डीए 3 के समान फार्म में जमाकर्ताओं से किये गये नामन स्वीकार करें।

'अपने ग्राहक को जानिये' संबंधी दिशा-निर्देश

6.20 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपने ग्राहक को जानिये संबंधी दिशा-निर्देश 6 जनवरी 2004 को जारी किये गये। ये दिशा-निर्देश वाणिज्य बैंकों को पहले-ही जारी किये गये दिशा-निर्देशों के समान ही हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं- (i) ग्राहक पहचान; (ii) वर्तमान ग्राहकों के लिए अपने 'ग्राहक को जानिये' संबंधी क्रियाविधि; (iii) नकदी लेनदेनों की उच्चतम सीमा और उन पर निगरानी; (iv) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली; (v) आंतरिक लेखा-परीक्षा / निरीक्षण; (vi) रिकार्ड का रखरखाव; तथा (vii) स्टाफ का प्रशिक्षण और प्रबंधन । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निदेशक बोर्ड को सूचित किया गया है कि वे इन दिशा निर्देशों को परिचालन में लाने तथा नये ग्राहकों के संबंध में इनका पालन सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और क्रियाविधियां तैयार करें। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया है कि वे वर्तमान ग्राहकों के बारे में पहचान प्रक्रिया को 30 जून 2004 तक पूर्ण करें। ये दिशा-निर्देश विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों (चिट फंड कंपनियां) और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमा एजेंसी व्यवसाय

6.21 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के बिना कतिपय शर्तों के अधीन शुल्क आधार पर और जोखिम साझेदारी के बिना बीमा एजेंसी व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बीमाकृत व्यक्ति से प्रीमियम की वसूली पर लगाया गया प्रतिबंध केवल उसके बीमा एजेंसी व्यवसाय से संबंधित है। यह प्रतिबंध ऐसी आस्तियों के बीमा से संबंधित नहीं है जिनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को पट्टा या किराया खरीद या पट्टेदार, किरायेदार और ऋणकर्ताओं को ऋणों के दृष्टिबंधक के प्रयोजन से बीमा-योग्य हित का पट्टे या किराया खरीद या पट्टेदार, किराया खरीददार या ऋणकर्ता को दिये गये ऋणों के हो। तथापि ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जोखिम साझेदारी के आधार पर ईक्विटी अंशदान के साथ बीमा संयुक्त उद्यम स्थापित करना चाहती हैं या बीमा कंपनियों में निवेश करना चाहती हैं उन्हें दिनांक 9 जून 2000 को पहले जारी किये गये दिशा-निर्देशों में सूचित किये गये अनुसार रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना जारी रखना चाहिए।

वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000

6.22 वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत सरकार को वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसके बाद सरकार ने स्थायी समिति की इन सिफारिशों पर रिज़र्व बैंक से टिप्पणियां मांगी हैं। वित्तीय क्षेत्र में हाल में हुई गतिविधियों को देखते हुए वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक के उपबंधों पर फिर से विचार किया जा रहा है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम)

6.23 सरकार ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम) को पारित किया है ताकि बैंक और वित्तीय संस्थाएं दीर्घावधि से बकाया आस्तियों की प्राप्ति, चलनिधि के प्रबंधन की समस्या, आस्ति-देयता विसंगति की समस्या का समाधान और प्रतिभूतियों का कब्जा लेने, उन्हें बेचने के अधिकारों का प्रयोग करते हुए वसूली में सुधार कर सकें तथा सुधार या निर्माण के लिए उपाय करते हुए गैर-निष्पादक आस्तियां कम कर सकें। मार्डिया केमिकल्स लि. के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए सरफेसी अधिनियम में कतिपय आशोधन आवश्यक हो गये हैं। इस संबंध में विविध क्षेत्रों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए कतिपय अन्य प्रासंगिक परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। रिज़र्व बैंक ने अब तक तीन आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों अर्थात भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लि. (एआरसीआइएल), आस्ति रक्षा उद्यम लि. (एसीईएल) और एएसआरईसी (इंडिया) लि. (एएसआरईसी) को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया है। एआरसीआइएल ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है और रु. 2,088 करोड़ के मूल्य पर रु. 9,631 करोड़ के बही मूल्य की आस्तियां ग्रहण की हैं और रु.2,102 करोड़ के मूल्य की प्रतिभूति रसीदें जारी की हैं। एसीईएल को अभी अपना परिचालन शुरू करना है। इस विलंब का संभावित कारण शायद उसके एक मुख्य प्रायोजक आइएफसीआइ का

प्रस्तावित विलयन हो सकता है। तीसरी कंपनी, एएसआरईसी को 11 अक्तूबर 2004[2] को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का ठोस पूंजी आधार हो और उनके द्वारा इस तरह से अभिग्रहित की गयी गैर-निष्पादक आस्तियों के प्रबंध में उनका अंश हो, रिज़र्व बैंक ने इन कंपनियों द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम स्वाधिकृत निधि अपेक्षा की राशि बढ़ाकर समग्र आधार पर, अभिग्रहित की गयी या अभिग्रहित की जानेवाली आस्तियों के कम से कम 15 प्रतिशत या रु. 100 करोड़, इसमें से जो भी कम हो, कर दी है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को दिये जानेवाले बैंक वित्त को उदार बनाना

6.24 एनबीएफसी द्वारा पुरानी (सेकेंड हैंड) आस्तियों के वित्तपोषण में हासिल की गयी विशेषज्ञता को देखते हुए तथा ऋण वितरण को बढ़ावा देने के लिए एनबीएफसी को दिये जानेवाले बैंक वित्त को उदार बनाया गया। अब से, बैंक एनबीएफसी को उनके द्वारा वित्तपोषित पुरानी आस्तियों पर वित्त प्रदान करने की अनुमति होगी, बशर्ते बैंकों के बोर्डों द्वारा विधिवत अनुमोदित उचित ऋण नीतियां लागू की जा रही हों।

जनता की जमाराशियों को चरणबद्ध रूप से हटाना

6.25 फिलहाल जनता से जमाराशियां स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का रिज़र्व बैंक विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। कुछ समय से एनबीएफसी की जनता की जमाराशियों पर अपने समग्र संसाधनों के रूप में निर्भरता कम हो गयी है। एनबीएफसी की जमाराशियां 2000-01 के 6,500 करोड़ रुपयों (कुल देयताओं का 17.2 प्रतिशत) से घटकर 2003-04 में । 3,400 करोड़ रुपये (कुल देयताओं का 12.7 प्रतिशत) रह गयी हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जनता से जमाराशियां स्वीकार करना बैंकों तक सीमित है और एनबीएफसी सहित गैर-बैंक पूंजी बाजार का सहारा लेते हुए संस्थागत स्रोतों से संसाधन जुटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप एनबीएफसी को इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिज़र्व बैंक एनबीएफसी के साथ उनके द्वारा जनता से जमाराशियां स्वीकार करने में स्वैच्छिक रूप में चरणबद्ध कमी लाने की उनकी योजना के संबंध में चर्चा करेगा और रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी को ऋण दिये जाने संबंधी विनियमों की यथोचित रूप में समीक्षा की जायेगी।

प्राथमिक व्यापारी

6.26 प्राथमिक व्यापारी प्रणाली पिछले नौ वर्षों से भारत में प्रचलित है। सरकारी प्रतिभूति बाजार में गतिविधि को बढ़ावा देने, विशेषतः द्वितीयक बाजार के विकास में, प्राथमिक व्यापारी महत्त्वपूर्ण मध्यस्थक की भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक व्यापारियों के उन्नयन का मुख्य उद्देश्य है - सरकारी प्रतिभूति बाजार को संवेदनशील, तरल और व्यापक आधार वाला बनाना और रिज़र्व बैंक से बाहर सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी और विपणनयोग्य क्षमताओं को सुनिश्चित करना। प्राथमिक व्यापारियों के दायित्वों में वार्षिक बोली लगाने की प्रतिबद्धता, प्राथमिक प्रचालन की हामीदारी करना और दुतरफा भाव लगाना शामिल हैं। इसके बदले में सहायक सामान्य खाता-बही चालू खाता और प्राथमिक व्यापारियों को जमानती चलनिधि समर्थन और रिज़र्व बैंक से चलनिधि समायोजन सुविधा योजना के द्वारा चलनिधि समर्थन मिलता है, और प्राथमिक व्यापारियों को मांग मुद्रा बाजार में उधारकर्ता और उधारदाता के रूप में पैठ मिलती हैं।

6.27 हाल ही में एसबीआइ गिल्टस् लिमि. तथा भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमि. का विलयन हो जाने के साथ प्रणाली में विद्यमान प्राथमिक व्यापारियों की संख्या 18 से कम होकर 17 रह गयी है। प्रा. व्या. मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य ब्याज दर लिखतों में लेन-देन करते हैं और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के उधार कार्यक्रम को समर्थन देते हैं। अपनी प्रतिभूति धारिता के वित्तपोषण के लिए वे अल्पावधि के निधियन पर निर्भर होते हैं जिसके कारण उनमें विसंगति आ जाती है। प्राथमिक व्यापारी अपनी संख्या, सरकारी प्रतिभूति बाजार में अपने बाजार-अंश और मुद्रा बाजार में अपनी सहभागिता के कारण वित्तीय प्रणाली का एक प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण घटक बन जाते हैं। चूंकि प्राथमिक व्यापारी सामान्यतः अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं अतः उनका विनियामक निरीक्षण करना अपेक्षित है। विश्व भर में केन्द्रीय बैंक विशेष रूप से प्राथमिक व्यापारियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करते हैं और उनके परिचालन को कार्य-निष्पादन के आधार पर जारी रखते हैं।

6.28 प्राथमिक व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण संबंधी विवरणियों को वर्ष के दौरान तर्कसम्मत बनाया गया। छह विवरणियों को समाप्त कर दिया गया और तीन विवरणियों को संशोधित किया गया। प्रमुख वित्तीय संकेतकों तथा विभिन्न अनुपातों पर एक नयी तिमाही विवरणी 31 दिसम्बर 2003 को समाप्त तिमाही से शुरू की गयी।

6.29 प्राथमिक व्यापारियों को अपने ब्याज दर जोखिम संबंधी सम्भावना का प्रबंधन करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से उन्हें चरणबद्ध रूप में एक्सचेंज में लेनदेन किये गये ब्याज दर व्युत्पन्नी लिखतों में सौदा करने की अनुमति दी गयी। पहले चरण में उन्हें अपने निवेश संविभागों में विद्यमान जोखिम की प्रतिरक्षा के प्रयोजन से सांकेतिक बांडों और खजाना बिलों पर केवल ब्याज दर फ्यूचर्स में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी। इसके बाद प्राप्त प्रति-सूचना के आधार पर उन्हें विवेकसम्मत मार्गदर्शी दिशानिर्देशों तथा उपयुक्त प्रकटीकरण के साथ इन उत्पादों में लेनदेन करने की अनुमति दी गयी।

[2] रिपोर्ट का बाक्स V.4 देखें।

6.30 संविभागीय प्रबंधन सेवाओं के लिए प्राथमिक व्यापारियों को परिचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किये गये। प्राथमिक व्यापारियों को संविभागीय प्रबंधकीय सेवा संबंधी गतिविधि शुरू करने के पहले रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन तथा सेबी के यहां पंजीकरण करना होगा। उन्हें केवल उन संस्थाओं को, जो रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित नहीं हैं, संविभागीय प्रबंधन सेवाएं देने की अनुमति है। रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक व्यापारियों को उनके गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में विवेकसम्मत दिशानिर्देश भी जारी किये गये। प्राथमिक व्यापारियों को बिना रेटिंगवाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की मनाई है तथा असूचीबद्ध लिखतों में निवेश की सीमा गैर-सरकारी प्रतिभूति संविभाग के 10 प्रतिशत तक है।

6.31 प्राथमिक व्यापारियों को संशोधित पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानक तथा जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जनवरी 2004 में जारी किये गये। जोखिम पर मूल्य के लिए न्यूनतम धारण अवधि को 30 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। इससे बाजार पूंजी प्रभार को कम कर दिया गया और उच्चतर संविभाग रखने के लिए प्राथमिक व्यापारियों को समर्थ बनाया गया। पूंजी-पर्याप्तता के लिए सूचना प्रणाली को मानक रूप दिया गया। तुलनपत्र की कुछ मदें (जैसे हामीदारी संबंधी वचनबद्धताएं) जो पहले शामिल नहीं की गयी थीं, उन्हें जोखिम भारित आस्तियां और पूंजी-पर्याप्तता की गणना के लिए शामिल किया गया। टीयर II और टीयर III पूंजी के अंतर्गत सहायक ऋण लिखत जारी करने संबंधी दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं।

6.32 फरवरी 2004 में मांग मुद्रा बाजार से प्राथमिक व्यापारियों द्वारा उधार लिये जाने की उच्चतम सीमा (पिछले वित्त वर्ष की मार्च को समाप्त अवधि की स्थिति के अनुसार) उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों की 200 प्रतिशत तक होगी।

6.33 प्राथमिक व्यापारियों के पास सुदृढ़ पूंजी का आधार होना चाहिए ताकि वे ब्याज आय में होनेवाली वृद्धि की स्थिति में प्रतिकूल आघातों को सहन कर सकें। अतः जून 2004 में भुगतान के अनुपात और पूंजी की पर्याप्तता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए लाभांश वितरण की नीति पर विवेकसम्मत दिशानिर्देश जारी किये गये। पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों में प्राथमिक व्यापारियों का जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, उनके लिए लाभांश भुगतान का अनुपात अधिकतम 50 प्रतिशत किया गया, जबकि दूसरों के लिए लाभांश भुगतान की दर की उच्चतम सीमा 33.33 प्रतिशत रखी गयी । किसी भी प्राथमिक व्यापारी को लाभांश घोषित करने की अनुमति नहीं है, यदि चार तिमाहियों में से किसी भी एक तिमाही में उसका जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात न्यूनतम निर्धारित 15 प्रतिशत जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात से कम है।

6.34 सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक व्यापारियों की भूमिका का मूल्यांकन करने तथा प्राथमिक व्यापारियों से संबंधित इन संपूर्ण मुद्दों की व्यापक समीक्षा करने की दृष्टि से विशेषकर उनकी भूमिका और उनके दायित्व पर बल देते हुए, आम तौर पर बदलते हुए वित्तीय परिवेश के संदर्भ में उभरते जोखिम और उनके तुलनपत्रों में सम्भावित विशाखीकरण में उनकी योग्यता और उनके तुलनपत्र की संरचना की जांच की गयी जिसके लिए मुद्रा, विदेशी मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियों पर तकनीकी परामर्शदात्री समिति का एक उप-समूह डॉ. आर.एच. पाटील, अध्यक्ष, भारतीय समाशोधन निगम लि. की अध्यक्षता में बनाया गया है। इस उप समूह की रिपोर्ट सूचना के लिए तकनीकी परामर्शी समूह को प्रस्तुत कर दी गयी है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

6.35 राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि 1 अप्रैल 2006 से सरकारी प्रतिभूतियों के प्रारंभिक निर्गमों में रिज़र्व बैंक की सहभागिता समाप्त हो जायेगी। इसके परिणामस्वरूप खुला बाजार परिचालन अधिक सक्रिय साधन बन जायेगा जिसमें प्रक्रियाओं की समीक्षा किये जाने तथा प्रौद्योगिकीगत बुनियादी सुविधाएं बाजार की उन्नत स्थिति के अनुरूप रखी जाने की आवश्यकता रहेगी। बाजार में रिज़र्व बैंक का सीधे या वास्तविक समय आधार पर प्राथमिक व्यापारियों के जरिए हस्तक्षेप जरूरी बन सकता है। इन उभरती जरूरतों को पूरा करने तथा रिज़र्व बैंक और बाजार सहभागियों को यथोचित रूप से सुसज्जित रखने के लिए खुले बाजार परिचालनों के ढ़ांचे को मजबूत बनाये जाने के लिए एक अध्ययन दल गठित किया जायेगा।

6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र में कारोबार का स्वरूप

6.36 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र के मार्च 2002 और 2003 की समाप्ति पर व्यापक कारोबार की स्थिति, जो जमा राशियां स्वीकार करनेवाली / धारण करनेवाली कम्पनियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की गयी विवरणियों पर आधारित है, सारणी VI.3 और चार्ट VI.1[3] में प्रस्तुत की गयी है। मार्च

सारणी VI.3: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र का कारोबारी स्वरूप

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रु में)

मद	2002		2003	
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	*जिसमें से* अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	*जिसमें से* अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियाँ
1	2	3	4	5
रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की सं.	910	5	875	5
कुल आस्तियाँ	58,290	18,458 (31.7)	58,071	20,362 (35.1)
सार्वजनिक जमाराशियाँ	18,822	12,889 (68.5)	20,100	15,065 (75.0)
निवल स्वाधिकृत निधि	4,383	111	4,950	809

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े कुल जमाराशियों के प्रतिशत अंश हैं।

[3] डेटा तथा सूचना देनेवाली कंपनियों की कुल संख्या में विद्यमान अंतर को देखते हुए पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

चार्ट 1: एनबीएफसी क्षेत्र की स्थिति
(मार्च के अंत में)

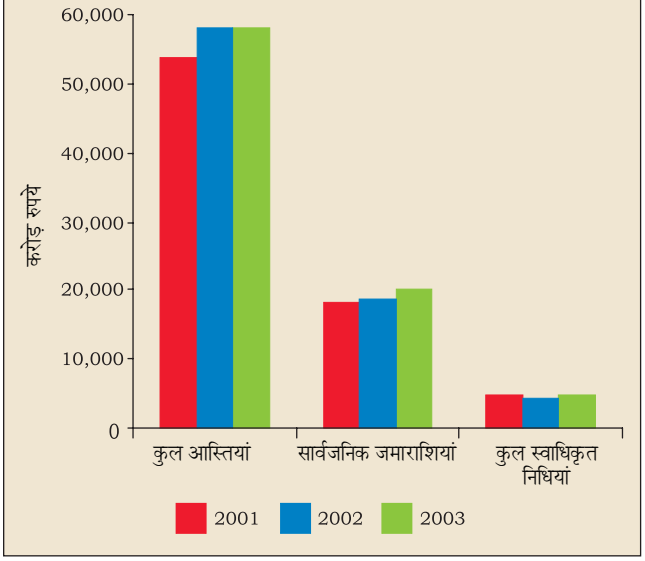

2002 के अंत में 910 जमा धारण करनेवाली कम्पनियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) की कुल बकाया सार्वजनिक जमाराशियां 18,822 करोड़ रुपये की बैठती हैं जो कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की बकाया जमाराशियों (12,05,930 करोड़ रुपये) की 1 प्रतिशत के समकक्ष बैठती हैं। मार्च 2003 के अंत में 875 कम्पनियों द्वारा सूचित बकाया सार्वजनिक जमाराशियों की मात्रा 20,100 करोड़ रुपये बैठती है, जो कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों (13,55,880 करोड़ रुपये) की 1.5 प्रतिशत के समकक्ष बैठती हैं।

6.37 ऋण कम्पनियों की आस्तियों में 3,815 करोड़ रुपये की कमी होने के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र की सकल आस्तियों में मामूली-सी गिरावट आयी। तथापि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की अन्य श्रेणियों में क्रमशः अर्थात (i) उपस्कर पट्टादारी और किराया खरीद कम्पनियों (1,754 करोड़ रुपये) (ii) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों (1,904 करोड़ रुपये), (iii) निवेश कम्पनियों (132 करोड़ रुपये) और (iv) विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों (14 करोड़ रुपये) में हुई वृद्धि द्वारा इसे आंशिक रूप से समायोजित कर लिया गया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की विभिन्न श्रेणियों की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति

6.38 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की विभिन्न श्रेणियों की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति सारणी VI.4 में दर्शायी गयी है। अलग-अलग स्तर पर अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियां और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में वर्ष 2001-02 की तुलना में 2002-03 में क्रमशः 16.9 प्रतिशत और 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। यह भी देखा जा सकता है कि उपस्कर पट्टादारी कम्पनियों और निवेश तथा ऋण कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का आकार इसी अवधि में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः 23.5 प्रतिशत और 68.0 प्रतिशत घटा है। तथापि क्योंकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित कुल जमाराशियों में उनके अंश अल्प हैं, अतः गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की मात्रा पर उनका प्रभाव नगण्य था (चार्ट VI.2)। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशियों का बहुत बड़ा भाग रखा जाता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों की कुल मात्रा में वर्ष 2002-03 में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

सारणी VI.4 : गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की विभिन्न श्रेणियों की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति
(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रु. में)

कारोबार का स्वरूप	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या		सार्वजनिक जमाराशियां		प्रतिशत घटबढ़ (कालम (4) की तुलना मे कालम (5))
	2002	2003	2002	2003	
1	2	3	4	5	6
1. उपस्कर पट्टेदारी	56	58	668	511	-23.5
			(3.5)	(2.5)	
2. किराया खरीद	463	439	3,709	3,539	-4.6
			(19.7)	(17.6)	
3. निवेश और ऋण	231	173	1,029	329	-68.0
			(5.5)	(1.6)	
4. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5	5	12,889	15,065	16.9
			(68.5)	(75.0)	
5. अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां *	155	200	528	656	24.2
			(2.8)	(3.3)	
कुल	**910**	**875**	**18,822**	**20,100**	**6.8**
			(100.0)	**(100.0)**	

* इसमें विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियां, अपंजीकृत और गैर-अधिसूचित निधियां शामिल हैं।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

चार्ट 2: एनबीएफसी की गतिविधिवार स्थिति (मार्च के अंत में)

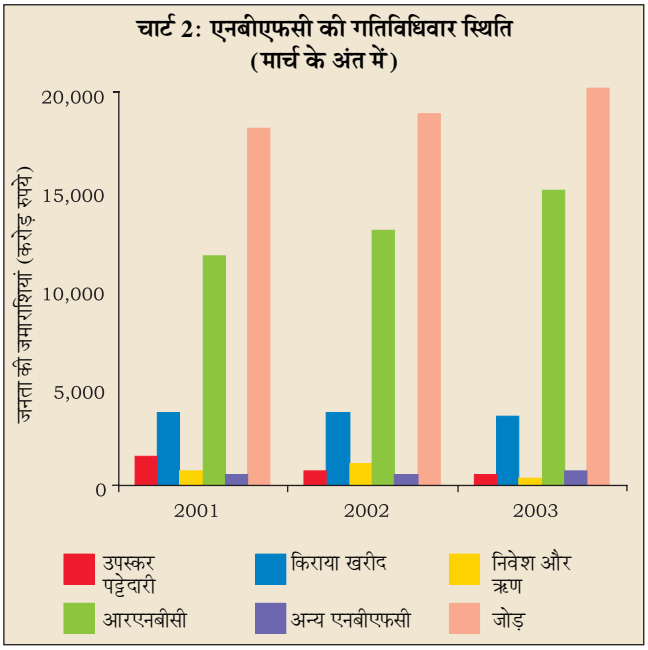

चार्ट VI.3: व्यापक चलनिधि (एल$_3$) में एनबीएफसी सार्वजनिक जमा का अंश

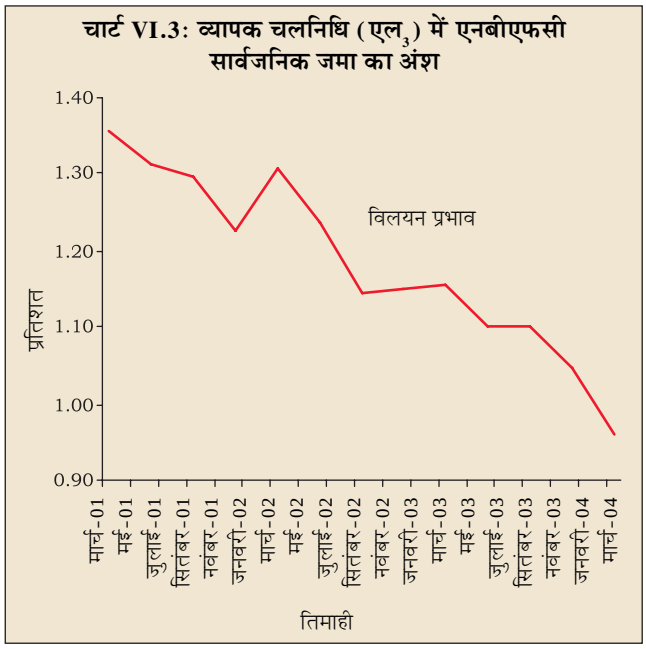

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की धारिताओं का आकारवार वर्गीकरण

6.39 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों के आकार में भारी अंतर पाया जाता है। उनके द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का दायरावार विश्लेषण सारणी VI.5 में दिया गया। यह देखा जा सकता है कि 20 करोड़ रु. और उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या मार्च 2002 के अंत के 42 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां से घटकर मार्च 2003 के अंत में 35 रह गयी। तथापि इन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां इन दोनों वर्षों में सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों के 80 प्रतिशत से ज्यादा बैठती थीं।

6.40 रिज़र्व बैंक व्यापक चलनिधि (एल$_3$) पर तिमाही डेटा प्रकाशित करता है जिसमें मुद्रा आपूर्ति : संकलन का विश्लेषण तथा पद्धति (अध्यक्ष: डा. वाई.वी.रेड्डी) पर कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर बैंकिंग क्षेत्र, डाकघर बैंक, वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की मौद्रिक और चलनिधि संबंधी देयताओं को शामिल किया जाता है। डेटा की प्राप्ति में विद्यमान अन्तरालों को देखते हुए, कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की थी कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों के अनुमान 20 करोड़ रु. और उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियों वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर तैयार किये जा सकते हैं। सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों का अंश एल$_3$ के लगभग 1.0 प्रतिशत पर बना रहा। इस प्रकार के अग्रणी आंकड़ों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सार्वजनिक जमाराशियों ने 2003-04 के दौरान 0.9 प्रतिशत की मामूली-गिरावट दर्ज की (चार्ट VI.3)।

सारणी VI.5: गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अन्य गैर-बैंकिंग कम्पनियों को छोड़कर) द्वारा धारित जमाराशियों का दायरा

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रु. में)

जमाराशियों का दायरा		गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की संख्या		सार्वजनिक जमाराशि		प्रतिशत	
		2002	2003	2002	2003	2002	2003
1		2	3	4	5	6	7
1.	0.5 से कम	518	491	83	65	1.4	1.3
2.	0.5 से 2	237	233	234	225	3.9	4.5
3.	2 से 10	97	90	416	360	7.0	7.1
4.	10 से 20	11	21	160	284	2.7	5.6
5.	20 से 50	14	12	396	364	6.7	7.2
6.	50 और उससे अधिक	28	23	4,644	3,737	78.3	74.3
	कुल	**905**	**870**	**5,933**	**5,035**	**100.0**	**100.0**

7. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित जमाराशियों की क्षेत्रवार संरचना[4]

6.41 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित जमाराशियों के क्षेत्रवार दायरे में उल्लेखनीय सुधार पाया गया (सारणी VI.6) । गैर-बैंकिंग वित्तीय कंम्पनियों की कुल जमाराशियों में पूर्वी क्षेत्र का अंश मार्च 2002 के 42.8 प्रतिशत से काफी गिरकर मार्च 2003 में 38.0 प्रतिशत रह गया। दूसरी ओर, मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसका सार्वजनिक कुल जमाराशियों में अंश 31 मार्च 2002 को 27.7 प्रतिशत बैठता था, का अंश मार्च 2003 की समाप्ति पर तेजी से बढ़कर 38.6 प्रतिशत हो गया। मुम्बई, नई दिल्ली, कोलकाता और चैन्नै के चार महानगरीय शहरों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंम्पनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियां भी मार्च 2002 के 69.8 प्रतिशत से तेजी से गिरकर मार्च 2003 के अंत में 59.2 प्रतिशत रह गयी।

8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पास सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज दर और परिपक्वता का स्वरूप

6.42 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंम्पनियों द्वारा दी गयी ब्याज दरों में नरम ब्याज दर के परिवेश के अनुरूप तेजी से गिरावट आयी । वर्ष 2002-03 के दौरान 10 प्रतिशत और 10 से 12 प्रतिशत के ब्याज दरवाले दायरे में सार्वजनिक जमाराशियों की मात्रा और प्रतिशत में भारी वृद्धि हुई । 10 से12 प्रतिशत के ब्याज दर दायरेवाली जमाराशियों का इस संविभाग में सर्वाधिक अंश है। दूसरी ओर, 12 से14 प्रतिशत, 14 से16 प्रतिशत और 16 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर दायरेवाली सार्वजनिक जमाराशियों का अंश गिरा। 12-14 प्रतिशत के दायरेवाली

चार्ट VI.4: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमाराशियों पर ब्याज दर का वितरण (मार्चांत)

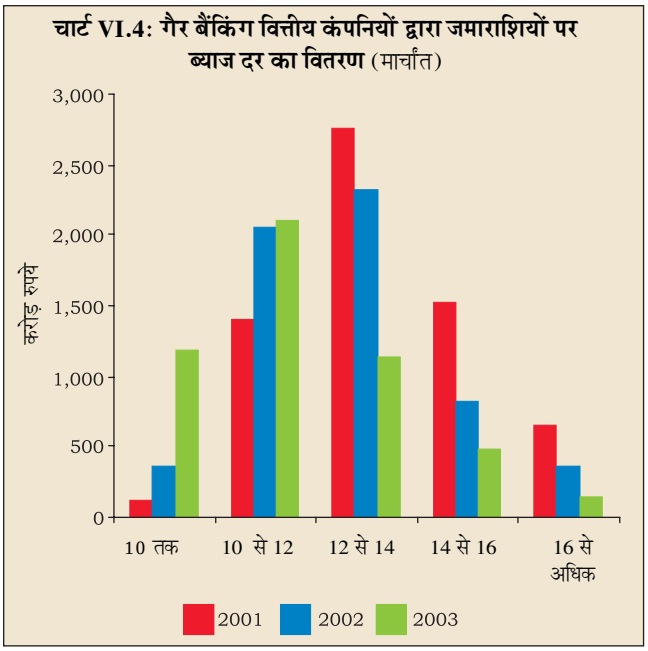

सारणी VI.6: पंजीकृत और अपंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों के क्षेत्र-वार ब्यौरे

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2002						2003					
	एनबीएफसी			*जिसमें से* आरएनबीसी			एनबीएफसी			*जिनमें से* आरएनबीसी		
	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत	संख्या	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
उत्तरी	271	554	2.9	–	–	–	271	543	2.7	–	–	–
उत्तर-पूर्वी	3	4	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–
पूर्वी	21	8,051	42.8	3	7,812	60.6	21	7,634	38.0	3	7,422	49.3
मध्यवर्ती	94	5,207	27.7	2	5,077	39.4	83	7,752	38.6	1	7,640	50.7
पश्चिमी	70	1,467	7.8	–	–	–	63	687	3.4	–	–	–
दक्षिणी	451	3,538	18.8	–	–	–	436	3,482	17.3	1	3	–
कुल	**910**	**18,821**	**100.0**	**5**	**12,889**	**100.0**	**875**	**20,100**	**100.0**	**5**	**15,065**	**100.0**
महानगरीय शहर												
मुंबई	52	1,445	7.7	–	–	–	45	672	3.3	–	–	–
चेन्नै	317	3,183	16.9	–	–	–	318	3,162	15.7	–	–	–
कोलकाता	21	8,051	42.8	3	7,812	60.6	18	7,625	37.9	3	7,422	49.3
नई दिल्ली	111	460	2.4	–	–	–	108	443	2.2	–	–	–
कुल	**501**	**13,139**	**69.8**	**3**	**7,812**	**60.6**	**489**	**11,902**	**59.2**	**3**	**7,422**	**49.3**

– शून्य / नगण्य

[4] यह क्षेत्रवार विश्लेषण जमा रखनेवाली / स्वीकार करनेवाली उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अन्य गैर-बैंकिंग कम्पनियों सहित) की संख्या पर आधारित है जिन्होंने 31 मार्च 2002 और 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए आंकड़े रिज़र्व बैंक को भेजे थे।

सारणी VI.7: ब्याज दर के अनुसार एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की सार्वजनिक जमाराशियों की स्थिति

(31 मार्च को)

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्याज सीमा (प्रतिशत)	जमा की राशि		कुल जमा के प्रति प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
10 तक	358	1,174	6.0	23.3
10-12	2,055	2,101	34.6	41.7
12-14	2,326	1,137	39.2	22.6
14-16	833	475	14.1	9.4
16 से अधिक	361	148	6.1	3.0
कुल	**5,933**	**5,035**	**100.0**	**100.0**

ब्याज दरों वाली सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2002 के अंत के 39.2 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप में गिरकर मार्च 2003 के अंत में 22.6 प्रतिशत रह गयीं (सारणी VI.7)।

6.43 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता वार विश्लेषण सारणी VI.8 में प्रस्तुत किया गया है।

6.44 व्यापक प्रवृत्तियां यह संकेत करती हैं कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अवशिष्ट को छोड़कर) के पास रखी बकाया सार्वजनिक जमाराशियां मार्च 2002 के अंत की 5,933 करोड़ रु. से गिरकर मार्च 2003 के अंत में 5,035 करोड़ रु. की रह गयीं। यह 898 करोड़ रु. (15.1 प्रतिशत) की समग्र गिरावट सभी परिपक्वता संवर्गों में जो '1 वर्ष से कम' से 'पांच वर्ष और उससे अधिक' के सभी परिपक्वता संवर्ग में समान रूप से देखी गयी।

6.45 गिरती ब्याज दरवाले परिदृश्य में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बीच का ब्याज दायरा पिछले वर्षों की तुलना में संकीर्ण हुआ है (सारणी VI.9)।

सारणी VI.8: एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) द्वारा धारित सार्वजनिक जमाराशियों का परिपक्वता स्वरूप

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपये में)

परिपक्वता	जमा की राशि		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
1 वर्ष से कम	1,483	1,203	25.0	23.9
1- 2 वर्ष	1,419	1,241	23.9	24.6
2- 3 वर्ष	2,198	1,927	37.0	38.3
3- 5 वर्ष	779	619	13.1	12.3
5 वर्ष और अधिक	54	45	0.9	0.9
कुल	**5,933**	**5,035**	**100.0**	**100.0**

सारणी VI.9: बैंक और एनबीएफसी जमाराशियों पर अधिकतम / उच्चतम ब्याज दर (मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

ब्याज दर	2000	2001	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6
1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की 1-3 वर्ष की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर	10.5	9.5	8.5	6.75	6.75
2. एनबीएफसी के लिए ब्याज दर की उच्चतम सीमा	16.0	14.0	12.5	11.0	11.0
3. अंतर (2-1)	5.5	4.5	4.0	4.25	4.25

6.46 वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्तियों की स्थिति यह संकेत देती है कि सूचना देनेवाली 905 कम्पनियों में से 50 करोड़ रु. और उससे अधिक की आस्ति आकार वाली 62 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का अंश वर्ष 2002 कुल आस्तियों के 92.2 प्रतिशत बैठता है (सारणी VI.10)। इस दायरे में कम्पनियों की अस्तियों का अंश अपरिवर्तित बना रहा, हालांकि उनकी संख्या में मामूली-सा बदलाव आया है। सूचना देनेवाली 870 कम्पनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों को छोड़कर) में से 50 करोड़ रु. और उससे अधिक की आस्तिवाली 64 कम्पनियों का अंश भी मार्च 2003 की समाप्ति पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र की कुल आस्तियों के समान अर्थात 92.2 प्रतिशत बनता है। सभी श्रेणियों में कम्पनियों की संख्या घटी है केवल 50 से 100 करोड़ रु. की आस्ति आकारवाली कम्पनियां इसका अपवाद रहीं। इन कम्पनियों का समग्र आस्ति आकार 31 मार्च 2002 के 39,833 करोड़ रु. से घटकर 31 मार्च 2003 को 37,709 करोड़ रु. का रह गया। प्रत्येक श्रेणी में अधिकांश कंपनियों के आस्ति आकार ने 2003 के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी है, परन्तु 100 से 500 करोड़ रु. की आस्ति आकारवाली कम्पनियां इस प्रवृत्ति की अपवाद रही है। अधिकांश कम्पनियों के आस्ति आकार के घटने का कारण हो

सारणी VI.10: एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) की आस्तियों की स्थिति

(मार्चांत)

(राशि करोड़ रुपये में)

आस्तियों की श्रेणी	सूचना देनेवाली कंपनियों की संख्या		आस्तियां		कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
0.25 से कम	51	62	5	6	0.0	0.0
0.25 - 0.50	88	77	33	28	0.1	0.1
0.50 - 2	383	354	416	388	1.0	1.0
2 - 10	247	245	1,076	1,131	2.7	3.0
10 - 50	74	68	1,594	1,399	4.0	3.7
50 - 100	19	19	1,341	1,315	3.4	3.5
100 - 500	23	28	5,962	6,492	15.0	17.2
500 से अधिक	20	17	29,406	26,950	73.8	71.5
कुल	**905**	**870**	**39,833**	**37,709**	**100.0**	**100.0**

सकता है कुछ बड़ी आकारवाली जमा स्वीकार करनेवाली कम्पनियों का जमा स्वीकार न करनेवाली कम्पनियों के रूप में परिवर्तित होना, साथ ही यह भी कारण हो सकता है कि उन्होंने अपनी आस्तियों का उपयोग अपनी उच्च लागतवाली जमाराशियों की देयताओं को चुकाने में किया हो।

10. गतिविधि के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्तियों का वर्गीकरण

6.47 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अन्य गैर-बैंकिंग कम्पनियों को छोड़कर) की आस्तियों का अधिकांश भाग उपस्कर पट्टेदारी तथा किराया खरीद आस्तियों के रूप में है। इन दोनों वर्गों को एक साथ मिलाने पर मार्च 2003 की समाप्ति पर इनकी कुल आस्तियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की कुल आस्तियों के 39.9 प्रतिशत बैठती हैं, जबकि ऋण और अन्तर कम्पनी जमाराशियों के संविभाग का अंश उनकी कुल आस्तियों के 35.3 प्रतिशत बैठता है (सारणी VI.11)।

11. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा उधार लेना

6.48 मार्च 2002 और मार्च 2003 के अंत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग को छोड़कर) द्वारा ली गयी उधार राशियां यह इंगित करती हैं कि 2002-03 के दौरान कुल उधार ली गयी राशियों में 480 करोड़ रु. की मामूली-सी वृद्धि हुई (सारणी VI.12)। डिबेंचर जारी करके जुटायी गयी निधियां जो मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए ली गयी कुल उधार राशियों के 17.4 प्रतिशत बैठती हैं, मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिए बढ़कर 21.9 प्रतिशत हो गयीं। 'अन्य स्रोतों' से जुटाये गये संसाधन भी मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के 14.8 प्रतिशत से

सारणी VI.11: एनबीएफसी (आरएनबीसी) को छोड़कर की आस्तियों का गतिविधि-वार वितरण

(मार्च अंत)

(राशि करोड़ रुपये में)

गतिविधि	राशि		कुल के प्रति प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
ऋण और अंतर - कंपनी जमाराशियाँ	13,710	13,296	34.4	35.3
निवेश	4,334	4,338	10.9	11.5
किराया खरीद	13,202	13,031	33.1	34.6
उपस्कर पट्टेदारी	3,112	2,011	7.8	5.3
बिल	673	450	1.7	1.2
अन्य आस्तियां	4,802	4,583	12.1	12.2
कुल	**39,833**	**37,709**	**100.0**	**100.0**

बढ़कर मार्च 2003 की समाप्ति पर 21.0 प्रतिशत हो गये। इस क्षेत्र के लिए निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में केन्द्र/राज्य सरकारों पर निर्भरता कम हो गयी क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस क्षेत्र पर निर्भरता लगभग 50 प्रतिशत तक गिर गयी।

12. प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की देयताएं और आस्तियां

6.49 20 करोड़ रु. और उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशियां रखनेवाली प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) के कार्य-निष्पादन का अग्रणी आंकड़ा यह दर्शाता है कि मुद्रा आपूर्ति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डा. वाई.वी.रेड्डी) के आधार पर शुरू की गयी विवरणियों के आधार पर संकलित इस क्षेत्र की

सारणी VI.12: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) द्वारा लिये उधारों का वर्गीकरण

(मार्च अंत)

(राशि करोड़ रुपये में)

स्रोत	बकाया		कुल का प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
केन्द्रीय/राज्य सरकारों से लिया गया उधार @	3,353	1,570	14.0	6.4
विदेशी स्रोतों से लिया गया उधार *	670	694	2.8	2.8
अन्तर-कम्पनी उधार	1,996	2,074	8.3	8.5
परिवर्तनीय अथवा रक्षित डिबेंचरों के निर्गम से जुटाई मुद्रा, बैंकों द्वारा अंशदान सहित	4,180	5,352	17.4	21.9
बैंकों से उधार	7,918	8,074	33.0	33.0
वित्तीय संस्थाओं से उधार	1,546	885	6.4	3.6
वाणिज्यिक पत्र	781	678	3.3	2.8
अन्य #	3,555	5,153	14.8	21.0
जोड़	**24,000**	**24,480**	**100.0**	**100.0**

@ मुख्यतः राज्य सरकार के स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा।

* विदेशी साझेदार एवं संस्थागत निवेशकों (एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आदि) से प्राप्त राशि। प्रमुख राशि बुनियादी संरचना व पट्टेदारी कम्पनियों में है।

\# कर्मचारियों से प्रतिभूति जमा, जमानत राशि, आबंटन राशि, पारस्परिक निधियों से उधार, निदेशकों आदि से उधार की राशि शामिल हैं।

सारणी VI.13: 20 करोड़ रु. और अधिक की सार्वजनिक जमाराशि धारक कम्पनियों की आस्तियां और देयताएं
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2003		2004	
	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)	राशि	कुल के प्रति अंश (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
देयताएं				
प्रदत्त पूंजी	1,693	6.4	1,100	5.2
भाररहित प्रारक्षित निधि (हानियों के लिए समायोजित)	1,325	5.0	1,324	6.3
सार्वजनिक जमाराशियां (i+ii)	3,686	14.0	3,233	15.3
(i) एक वर्ष से कम परिपक्वता वाली सार्व. जमा राशियां	1,542	5.9	1,452	6.9
(ii) एक वर्ष से जादा परिपक्वता वाली सार्व. जमा राशियां	2,144	8.1	1,781	8.4
परिवर्तनीय डिबेंचर	3,755	14.2	3,140	14.9
परिवर्तनीय डिबेंचर (i+ii+iii)	8,675	32.9	7,601	36.1
(i) बैंकों से	6,785	25.7	6,130	29.1
(ii) अन्तर-कम्पनी जमा	1,428	5.4	1,449	6.9
(iii) विदेशी सरकार	462	1.8	22	0.1
अन्य देयताएं	7,222	27.4	4,685	22.2
कुल देयताएं	**26,355**	**100.0**	**21,083**	**100.0**
आस्तियां				
निवेश (i+ii+iii)	2,696	10.2	1,113	5.3
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	492	1.9	358	1.7
(ii) कम्पनी क्षेत्र-शेयर बाण्ड, डिबेंचर	2,025	7.7	626	3.0
(iii) अन्य	179	0.7	130	0.6
ऋण और अग्रिम	8,576	32.5	8,588	40.7
अन्य वित्तीय आस्तियां (i+ii+iii)	10,255	38.9	8,619	40.9
(i) किराया खरीद	8,571	32.5	7,648	36.3
(ii) उपस्कर पट्टेदारी	1,546	5.9	916	4.3
(iii) बट्टाकृत बिल	139	0.5	55	0.3
अन्य आस्तियां	4,828	18.3	2,763	13.1
कुल आस्तियां	**26,355**	**100.0**	**21,083**	**100.0**

टिप्पणी: देयताओं में विदेशी सरकारों से अन्य उधार घटक में तथा निवेश में कंपनी क्षेत्र-शेयरों, बांडों, डिबेंचरों में आयी तीव्र गिरावट कुछ प्रमुख एनबीएफसी को जमाराशियां न लेने की गतिविधियों में परिवर्तित कर देने तथा कुछ अन्य एनबीएफसी के मामलों में पोर्टफोलियों बदल देने के कारण है।

आस्तियों का तीन-चौथाई भाग इन कम्पनियों का बैठता है जो सारणी VI.13 में प्रस्तुत है। प्रमुख गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्तियों और देयताओं की संरचना यह दर्शाती है कि 2003-04 के दौरान इनकी सार्वजनिक जमाराशियों के अंश में मामूली-सी वृद्धि हुई, जिनके लिए बैंक ऋणों का भारी सहारा लिया गया, जो आंशिक रूप से नरम होती उधार दरों से प्रेरित रहा। निधियों के विनियोजन की दृष्टि से, केवल ऋणों और अग्रिमों ने ही मामूली-सी वृद्धि दर्शायी, जबकि इसके विपरीत कारोबार के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आयी।

13. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का आय-व्यय विवरण

6.50 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की लाभप्रदता का विश्लेषण यह संकेत करता है कि इन कम्पनियों की आय और व्यय दोनों ने वर्ष 2002-03 के दौरान गिरावट दर्ज की (सारणी VI.14)। आय में 5.1 प्रतिशत की गिरावट आयी जो मुख्यतः निधि आधारित आय में गिरावट के कारण थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कुल व्यय में 830 करोड़ रु. (15.6 प्रतिशत) की गिरावट मुख्यतः वित्तीय व्यय में 540 करोड़ रु. की तेजी से आयी कमी के कारण थी। वित्तीय व्यय में यह गिरावट ब्याज व्यय में आयी उल्लेखनीय गिरावट के कारण थी। जहां व्यय के अन्य घटकों में भी गिरावट आयी, वहीं 'अन्य' व्यय में आयी गिरावट 'परिचालन व्यय' में आयी गिरावट से ज्यादा थी। इसका परिणाम यह हुआ कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने 2001-02 में 212 करोड़ रु. की निवल हानि के विपरीत 2002-03 में 339 करोड़ रु. का निवल लाभ दर्ज किया (चार्ट VI.5)।

सारणी VI.14: एनबीएफसी (आरएनबीसी को छोड़कर) के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2001-02	2002-03	प्रतिशत घट-बढ़ स्तंभ (2) के मुकाबले स्तंभ(3)
1	2	3	4
क. आय (i+ii)	**5,357**	**5,084**	-5.1
(i) निधि आधारित	5,005	4,709	-5.9
(ii) शुल्क आधारित	352	375	6.5
ख. व्यय (i+ii+iii)	**5,321**	**4,491**	-15.6
(i) वित्तीय	3,297	2,757	-16.4
(ii) परिचालनगत	1,225	1,100	-10.2
(iii) अन्य	799	634	-20.7
ग. कर-प्रावधान	**248**	**254**	2.4
घ. निवल लाभ	**-212**	**339**	
ङ कुल आस्तियां	**39,833**	**37,709**	**5.3**
च. वित्तीय अनुपात			
(कुल आस्ति के प्रतिशत के रूप में)			
(i) आय	13.4	13.5	
(ii) निधी से आय	12.6	12.5	
(iii) शुल्क से आय	0.9	1.0	
(iv) व्यय	13.4	11.9	
(v) वित्तीय व्यय	8.3	7.3	
(vi) परिचालनगत व्यय	3.1	2.9	
(vii) अन्य व्यय	2.0	1.7	
(viii)कर-प्रावधान	0.6	0.7	
(ix) निवल लाभ	-0.5	0.9	

14. कुल आय में ब्याज-लागत

6.51 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा किया गया ब्याज व्यय मार्च 2002 के अंत में कुल आय के 25.6 प्रतिशत से गिरकर 31 मार्च 2003 के अंत में कुल आय का 19.2 प्रतिशत रह गया जो समग्र अर्थव्यवस्था में विद्यमान नरम ब्याज दरों की स्थिति को दर्शाता है। किया गया ब्याजेतर व्यय भी समीक्षाधीन अवधि में कुल आय के 73.7 प्रतिशत से गिरकर कुल आय का 69.2 प्रतिशत रह गया (सारणी VI.15 और चार्ट VI.6)। यह वेतन और स्थापना लागत सहित परिचालन व्ययों में गिरावट को दर्शाता हैं।

चार्ट VI.5: एनबीएफसी का कार्यनिष्पादन (आरएनबीसी को छोड़कर)

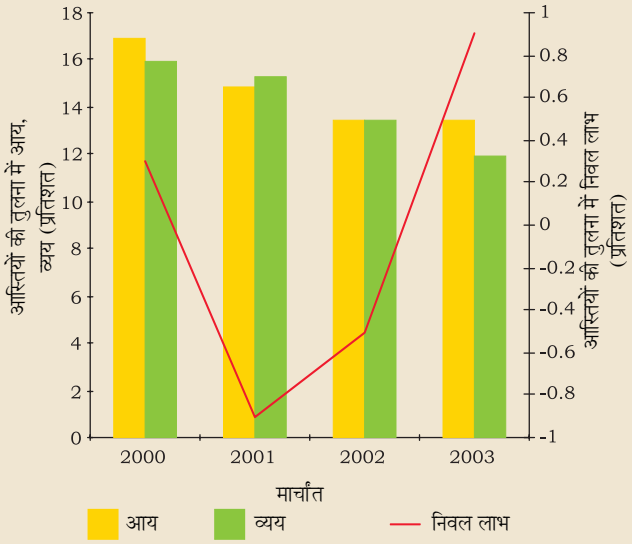

15. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां

6.52 सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां (सारणी VI.16) यह दर्शाती हैं कि निवल स्वाधिकृत निधियों के अधिकांश दायरों में कम्पनियों की संख्या में गिरावट आयी है। तथापि, इन कम्पनियों द्वारा धारित निवल स्वाधिकृत निधियों के प्रति सार्वजनिक जमाराशियों का अनुपात 2002 और 2003 में स्थिर रहा है, परन्तु 0.25 करोड़ रुपये और 2.0 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये एवं 100 करोड़ रुपये के दायरेवाली कम्पनियां इसकी अपवाद रहीं।

16. पूंजी-पर्याप्तता अनुपात

6.53 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर पूंजी-पर्याप्तता संबंधी मानदण्ड 1998 में लागू किये गये। जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात संबंधी मानदण्ड यह निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी टीयर I और टीयर II के रूप में एक न्यूनतम पूंजी अनुपात बनाये रखेगी जो उसकी कुल जोखिम भारित आस्तियों तथा तुलनपत्र से इतर मदों में जोखिम समायोजित मूल्य के (क) 31 मार्च 1998 को या उससे पहले 10 प्रतिशत तथा (ख) 31 मार्च 1999

सारणी VI.15: कुल आय के प्रति ब्याज लागत

(राशि करोड़ रुपए में)

	कुल आय	कुल लागत	कुल आय के प्रति कुल प्रतिशत लागत	ब्याज लागत	कुल आय के प्रति प्रतिशत	कुल आय के प्रति ब्याजेतर लागत	कुल आय के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	5,357	5,321	99.3	1,371	25.6	3,950	73.7
2002-03	5,084	4,491	88.3	974	19.2	3,517	69.2

सारणी VI.16: एनबीएफसी की सार्वजनिक जमाराशियां की तुलना में निवल स्वाधिकृत निधियां (अवशिष्ट गैरबैंक कंपनी को छोड़कर)

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

निस्वानि का दायरा	2002				2003			
	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधि	निधि जमा	निस्वानि के गुणकों मे सार्व. जमा	रिपोर्टिंग कम्पनियों की सं.	निस्वा निधि	निस्वानि के गुणकों में सार्व. जमा	सार्वजनिक जमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.25 तक	214	-1,351	1,120	-	208	-1,356	843	-
0.25 - 2	515	314	267	0.9	497	309	369	1.2
2 - 10	113	470	302	0.6	110	461	467	1.0
10 - 50	38	798	718	0.9	30	677	447	0.7
50 -100	11	798	846	1.1	10	639	255	0.4
100-500	14	3,243	2,680	0.8	15	3,411	2,654	0.8
कुल	**905**	**4,272**	**5,933**	**1.4**	**870**	**4,141**	**5,035**	**1.2**

चार्ट VI.6 : कुल आय की तुलना में दिये गये ब्याज का अनुपात

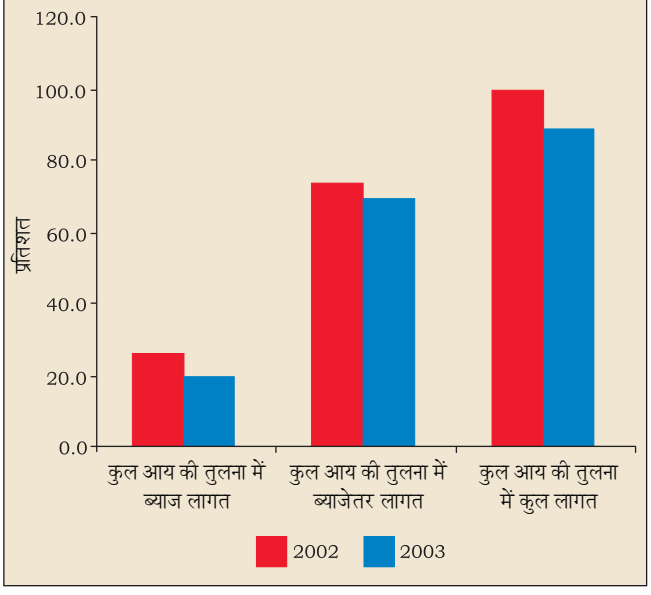

को या उससे पहले 12 प्रतिशत से कम नहीं होगा। कुल टीयर II पूंजी किसी भी समय टीयर I पूंजी के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। 605 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में से 93.7 प्रतिशत कम्पनियों (निधियों, संभावित निधियों और एमएनबीसी को छोड़कर) के पूंजी-पर्याप्तता अनुपात में मामूली-सा सुधार हुआ और वह मार्च 2003 को 12 प्रतिशत से अधिक हो गया, जबकि इसके विपरीत 663 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में से 93.5 प्रतिशत कम्पनियों ने मार्च 2002 में ही वह स्तर प्राप्त कर लिया था (सारणी VI.17)।

17. गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गैर-निष्पादक आस्तियां

6.54 सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की सकल और निवल गैर-निष्पादक आस्तियों ने हाल के वर्षों में नियमित गिरावट का अनुभव किया है (सारणी VI.18)। सितम्बर 2003 को समाप्त छमाही के लिए उच्चतर प्रावधानों का सहारा लेने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में मामूली-सी वृद्धि हुई।

सारणी VI.17: सूचना देनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों* का सीआरएआर

(मार्च के अंत में)

सीआरएआर दायरा (प्रतिशत में)	2002					2003				
	उपस्कर पट्टेदारी	किराया खरीद	ऋण/ निवेश	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां	**कुल**	उपस्कर और पट्टेदारी	किराया खरीद	ऋण/ निवेश	अवशिष्ट अवशिष्ट	**कुल**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12 से कम	10	17	15	1	**43**	11	13	13	1	**38**
12-15	1	8	1	-	**10**	-	2	1	1	**4**
15-20	4	32	9	1	**46**	3	27	3	-	**33**
20-30	9	54	11	1	**75**	9	52	13	1	**75**
30 से अधिक	32	334	121	2	**489**	37	321	96	1	**455**
कुल	**56**	**445**	**157**	**5**	**663**	**60**	**415**	**126**	**4**	**605**

* एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबी को छोड़कर

सारणी VI.18: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों* की गैर-निष्पादक आस्तियां

(ऋण जोखिम का प्रतिशत)

अवधि	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां	निवल गैर-निष्पादक
1	2	3
मार्च 1999	10.2	7.0
सितंबर 1999	7.7	4.4
मार्च 2000	9.9	9.5
सितंबर 2000	10.0	6.3
मार्च 2001	11.5	5.6
सितंबर 2001	12.0	5.8
मार्च 2002	10.6	3.9
सितंबर 2002	9.7	4.3
मार्च 2003	8.8	2.7
सितंबर 2003	8.2	2.9

* एमबीएफसी, एमबीसी और एमएनबीसी को छोड़कर।

18. अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों की स्थिति

6.55 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) एनबीएफसी का एक वर्ग है जो जनता से जमाराशियां स्वीकार करती हैं तथा उनसे यह अपेक्षित है कि वे अपनी जमाराशियों का 80 प्रतिशत रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्धारित श्रेणियों में निवेश करें तथा शेष 20 प्रतिशत अपने विवेकानुसार निवेशित करें। कुछ वर्षों में उनकी जमाराशियां काफी बढ़ गयी हैं, इसमें केवल दो कंपनियों का अंश सभी एनबीएफसी द्वारा धारित कुल सार्वजनिक जमाराशियों के 80 प्रतिशत से अधिक है। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां सामान्य तौर पर विभिन्न योजनाओं के द्वारा या तो सावधि जमाराशियों के रूप में या आवर्ती जमाराशि / दैनिक जमाराशियों के रूप में जमाराशियां जुटाती हैं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा जुटायी गयी जमाराशियां रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित अनुमोदित रूप में निवेशित करना आवश्यक होता है (बाक्स VI.1)। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताएं 31 मार्च 2002 के रुपये 12,889 करोड़ से 16.9 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2003 को रुपये 15,065 करोड़ की हो गयीं। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की व्यापक स्थिति यह दर्शाती है कि उनकी कुल आस्तियों में 2002-03 के दौरान 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2002-03 के दौरान आंतरिक अर्जन और पूंजी लगाने के कारण अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की समग्र निवल स्वाधिकृत निधि रुपये 111 करोड़ से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर रुपये 809 करोड़ की हो गयीं। निवल स्वाधिकृत निधि में हुई ऐसी भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप निवल स्वाधिकृत निधियों के प्रति सकल जमा अनुपात में कमी आ गयी। इन कंपनियों के निवल लाभ में 37.0 प्रतिशत की गिरावट आ गयी जिसका मुख्य कारण था उनकी आय में वर्ष 2003 में सुस्पष्ट सुधार के अभाव में वित्तीय लागत में हुई वृद्धि (सारणी VI.19)।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों के निवेश का स्वरूप

6.56 अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों द्वारा रखे गये निवेश के स्वरूप से यह संकेत मिलता है कि उनकी निवेश संरचना में उल्लेखनीय बदलाव

बाक्स VI.1: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा निदेशित निवेशों का रखरखाव

निदेशित निवेशों के स्वरूप को युक्तिसंगत बनाने तथा सर्वांगीण जोखिम से निपटने के उद्देश्य से और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकारी प्रतिभूतियों में अगैबैंक के निवेशों का स्तर बढ़ गया और अन्य अनुमोदित निवेशों में दर निर्धारण (रेटिंग) तथा सूचीबद्धता अपेक्षाएं जून 2004 में लागू की गयी।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों द्वारा किये जानेवाले निवेश संबंधी प्रचलित विनियमों की समीक्षा की और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के निवेशों के संबंध में समग्र प्रणालीबद्ध जोखिम कम करने और अधिक तरलता तथा सुरक्षा प्रदान करने एवं इस तरह से जमाकर्ताओं को उपलब्ध सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनमें संशोधन किये ।

संशोधित निदेशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां केवल (i) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सावधि जमाराशियों और जमा प्रमाणपत्रों, और (ii) विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों में निवेश कर सकती हैं, बशर्ते ऐसे जमा प्रमाणपत्रों को अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा कम से कम एए+ या उसके समकक्ष की रेटिंग दी गयी हो और एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक/निर्दिष्ट लोक ऋण कार्यालय के प्रति निवेश जोखिम पिछले लेखा वर्ष के 31 मार्च को उस बैंक को जमाकर्ताओं की सकल जमा देयताओं के एक प्रतिशत से अधिक न हो।
- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को चाहिए कि वे अपने बाजार उधार कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ऐसी राशि निवेशित करें जो बकाया सकल जमा देयता के 15 प्रतिशत से कम न हो।
- ऐसी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए जिन्हें न्यूनतम एए+ या उसके समकक्ष दर्जा दिया गया हो और जो किसी एक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो।
- केवल ऐसे म्युचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करना चाहिए जो निधि योजनाएं ऋण अभिमुख हैं, बशर्ते म्युचुअल फंड में किया गया निवेश 10 प्रतिशत से अधिक न हो और एकल म्युचुअल फंड के मामले सकल जमा देयता के दो प्रतिशत से अधिक न हो।
- अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को 1 अप्रैल 2005 से अपने विवेकानुसार दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही की सकल जमा देयता के 10 प्रतिशत या एक समय की अपनी निवल स्वाधिकृत निधि, इसमें से जो भी कम हो, तक निवेश करने की अनुमति दी जायेगी और 1 अप्रैल 2006 से यह सीमा समाप्त हो जायेगी।

तथापि, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों ने निवेदन किया है कि विवेकशील निवेशों पर प्रतिबंध से उनकी अर्थक्षमता प्रभावित होगी तथा अन्य विवेकपूर्ण शर्तों में कुछ सुधार करने का अनुरोध किया है। आरएनबीसी द्वारा रिज़र्व बैंक अनुदेशों का पालन करने की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाये जाने का प्रस्ताव है :

वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों में किये गये निवेशों जिनकी निवेश के समय न्यूनतम रेटिंग एए+ हैं को जब तक उनका न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग बना रहता है तब तक पात्र प्रतिभूतियों के रूप में माना जायेगा।

वाणिज्य बैंकों के पास रहनेवाले अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के चालू खाता शेषों को पात्र निवेशों के रूप में माना जायेगा।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की निर्दिष्ट सूचीबद्धता और निवेश के समय रेटिंग संबंधी अपेक्षाएं पूरी करनेवाली कंपनियों के बांडों और डिबेंचरों में निवेशों को यदि ऐसी कंपनियां निवेश ग्रेड रेटिंग से न्यून स्तर पर पहुंच जानेपर अपात्र माना जायेगा।

सारणी VI.19: अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों की स्थिति
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मदे	2002	2003	
	राशि	राशि	प्रतिशत घटबढ़ स्तंभ (2) की तुलना मे
1	2	3	4
क. अगैबैं कम्पनियों की संख्या	5	5	–
ख. निवल स्वाधिकृत निधियां	111	809	628.8
ग. जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयताएं	12,889	15,065	16.9
घ. आस्तियाँ (i से v)	18,458	20,362	10.3
(i) भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	4,080	6,129	50.2
(ii) बैंकों के पास सावधि जमाराशियाँ	1,830	1,470	-19.7
(iii) सरकारी कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सार्व. क्षेत्र की वित्तीय कम्पनियों / निगमों के बांड या डिबेंचर या वाणिज्यिक पत्र	6,265	6,553	4.6
(iv) अन्य निवेश	529	912	72.4
(v) अन्य अस्तियाँ	6,169	6,040	-2.1
ड. आय*	1,785	1,801	0.9
च. कुल व्यय (i+ii+iii)	1,376	1,435	4.3
(i) वित्तीय लागत	1,091	1,212	11.1
(ii) परिचालन लागत	93	105	12.9
(iii) अन्य लागत	193	118	-38.9
छ. कर	41	134	226.8
ज. निवल लाभ	368	232	-37.0

* केवल निधि आधारित आय शामिल है।

आया है जिसमें भार-रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनके निवेश में भारी वृद्धि हुई है, जबकि बैंकों की सावधि जमाराशियों में उनके निवेश तथा बांडों और डिबेंचरों में उनके अभिदान में गिरावट आयी है। इस प्रकार अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कम्पनियों के निवेश संविभाग के जोखिम की स्थिति में सुधार हुआ है (सारणी VI.20)।

19. प्राथमिक व्यापारी

6.57 2003-04 में प्राथमिक व्यापारी सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बने रहे। सभी प्राथमिक व्यापारियों ने इस वर्ष लाभ अर्जित किया और पिछले वर्ष की तुलना में उनके समग्र लाभ में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (परिशिष्ट सारणी VI.1)। प्राथमिक व्यापारियों की कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों का अंश 80 प्रतिशत के आसपास बना रहा।

सारणी VI.20: आरएनबीसी के निवेशों का स्वरूप
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	2002	2003
1	2	3
जमाकर्ताओं के प्रति सकल देयता (ALD)	12,889 (100.0)	15,065 (100.0)
भाररहित अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	4,080 (31.6)	6,129 (40.7)
बैंकों के पास रखी सावधि जमाराशियां	1,830 (14.2)	1,470 (9.8)
सरकारी कम्पनी / सरकारी क्षेत्र के बैंक/ सार्व. वित्तीय संस्था/ निगम के बांडों या डिबेंचरों या वाणिज्यिक पत्र	6,265 (48.6)	6,553 (43.5)
अन्य निवेश	714 (5.6)	913 (6.0)

Note : Figures in bracket are percentage to ALD.

6.58 प्राथमिक व्यापारियों की समग्र वित्तीय क्षमता (सारणी VI.21) में सुधार हुआ, जो उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों में हुई वृद्धि से स्पष्ट है, जो लाभ के पूंजीकरण और नयी पूंजी डालने के कारण राशि के रूप में 2003 के मार्चांत 5,055 करोड़ रु. से बढ़कर 2004 के मार्चांत में 6,015 करोड़ रु. की हो गई। वर्ष में उच्चतर निवल लाभ होने के बावजूद प्राथमिक व्यापारियों की निवल मालियत में भारी वृद्धि होने के कारण उनकी निवल मालियत पर प्रतिलाभ कम रहा। आस्ति प्रतिलाभ के रूप में प्राथमिक व्यापारियों का निष्पादन 2002-03 के निष्पादन की तुलना में कम रहा, जिसका मुख्य कारण ब्याज आय और कारोबारी लाभ में निम्नतर अर्जन था।

6.59 प्राथमिक व्यापारियों का जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात ऋण जोखिम और बाजार जोखिम सहित सकल जोखिम भारित आस्तियों के 15 प्रतिशत की न्यूनतम अपेक्षित पूंजी से काफी अधिक बना रहा (परिशिष्ट सारणी VI.2)। मोटे तौर पर स्थिर आस्तियों और उच्चतर पूंजी निधियों की धारिता अवधि जोखिम मूल्य की गणना के उपाय के अंतर्गत 30 दिन से घटकर 15 दिन हो जाने के कारण इस वर्ष इनका जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात 29.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत 2004 में 42.7 प्रतिशत हो गया।

सारणी VI.21: प्राथमिक व्यापारियों के चुनिंदा संकेतक
(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

परिवर्ती	2002	2003	2004
1	2	3	4
प्राधिकृत व्यापारियों की संख्या	18	18	17
कुल पूंजी निधियां	4,371	5,055	6,015
सीआरएआर (प्रतिशत)	38.4	29.7	42.7
कुल आस्तियां (चालू देयताओं और प्रावधानों को घटाकर)	15,305	17,378	17,135
जिसमें से :सरकारी प्रतिभूतियां	12,217	14,573	14,094
कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में	80	84	82
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	8.4	6.6	5.9
औसत निवल मालियत पर प्रतिलाभ	38.7	24.2	20.4
चलनिधि समर्थन सीमाएं	4,000 (सामान्य)	3,000 (सामान्य)	2,250 (सामान्य)
	2,000 (बैक स्टाप)	1,500 (बैक स्टाप)	2,250 (बैक स्टाप)

टिप्पणी : 2004 के आंकड़ों में एसबीआई गिल्ट लि., शामिल नहीं है।

6.60 प्राथमिक व्यापारियों की नकदी समर्थन सीमा 2002-03 की तरह ही 2003-04 में भी 4,500 करोड़ रु. निर्धारित की गई थी। जैसा कि 2003-04 की मौद्रिक और ऋण नीति में कहा गया था, प्राथमिक व्यापारियों के लिए सामान्य और बैक स्टाप सुविधा का अनुपात 2002-03 के 2:1 से बदलकर 1:1 कर दिया गया। 29 मार्च 2004 से सामान्य और बैक स्टाप नकदी सहायता सुविधाओं को मिलाकर एक सुविधा कर दी गयी, जो एकल दर अर्थात, रिवर्स रिपो दर पर दी जाएगी। वर्ष 2004-05 के लिए नकदी सहायता 3000 करोड़ रु. निर्धारित की गई है।

6.61 वर्ष 2003-04 के लिए खजाना बिल नीलामी में बोली वायदा कुल मिलाकर सभी प्राथमिक व्यापारियों के लिए निर्गम राशि का 121.8 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। प्राप्त कुल बोली से 99,279 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई, जो 62,921 करोड़ रु. के कुल खजाना बिल निर्गम के 157.8 प्रतिशत है, जो बोली वायदा से अधिक है। दिनांकित प्रतिभूति नीलामी के मामले में कुल मिलाकर सभी प्राथमिक व्यापारियों के लिए मूलतः 1,31,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गयी थी। बाद में, सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम में कमी करने के कारण बोली वायदा कम करके 98,200 करोड़ रुपये कर दिया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत वास्तविक बोली अधिसूचित राशि के 110.9 प्रतिशत (1,10,953 करोड़ रु.) थी। नीलामी का सफलता अनुपात खजाना बिल के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत की तुलना में 66.6 प्रतिशत और दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए 45.1 प्रतिशत था, जबकि 2002-03 में यह अनुपात क्रमशः 62.6 प्रतिशत और 45.3 प्रतिशत था। प्राथमिक व्यापारियों ने इस वर्ष प्रारंभिक निर्गम की हामीदारी के लिए 1,00,000 करोड़ रु. की पेशकश की, जिसमें से 49,150 करोड़ रु. की बोली रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार की गई थी। प्राथमिक व्यापारियों द्वारा 2003-04 में खज़ाना बिल की कुल प्रारंभिक खरीद का अंश 67 प्रतिशत था, जो 2002-03 के 65 प्रतिशत से अधिक था। लेकिन दिनांकित प्रतिभूतियों के मामले में इस वर्ष यह 50.1 प्रतिशत था, जो 2002-03 के 63.0 प्रतिशत से कम है जो अन्य निवेशकों द्वारा दिनांकित प्रतिभूतियों के प्राथमिक बाजार में अधिक उत्साहजनक रुचि को परिलक्षित करता है।

20. अन्य गतिविधियां

विकास वित्त संस्था संबंधी कार्य दल की गतिविधियां

6.62 मौजूदा मीयादी ऋणदात्री और पुनर्वित्तपोषक संस्थाओं से संबंधित विनियामक और पर्यवेक्षी समस्याओं के निराकरण और उनके लिए संसाधन प्रवाह बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने 2003-04 की अपनी मौद्रिक और ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के व्यापक ढांचे में एक अलग श्रेणी के रूप में विकास वित्त संस्थाओं के लिए अल्पावधि संसाधन तक पहुंच सहित विभिन्न विनियामक और पर्यवेक्षी पहलुओं की जांच करने के लिए एक कार्य दल बनाने की घोषणा की थी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में कार्य दल को विशेष अधिकार दिया गया था कि वह यह सलाह दे कि क्या जैसा कि विकास वित्त संस्थाओं पर लागू है बड़ी देयतावाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को अपनेआप उनके लिए निर्धारित अलग श्रेणी में लाया जा सकता है, एवं अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की स्थिति की समीक्षा करने और यह पहचान करने कि उनमें विकास वित्त संस्थाओं की क्या-क्या विशेषताएं हैं एवं एक ऐसी प्रणाली के बारे में सुझाव देने जिसके द्वारा इस श्रेणी की कंपनियों को विकास वित्त संस्थाओं सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की किसी एक परिभाषा करने योग्य श्रेणी में लाया जा सके (बाक्स VI.2)।

6.63 वर्ष 2004-05 के वार्षिक नीति वक्तव्य की मध्यावधि समीक्षा में अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए आगे का नीति-पथ बनाया गया है ताकि आरएनबीसी की कार्यपद्धति में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। परिकल्पित उपायों से यह सुनिश्चित किये जाने की आशा है कि जमाकर्ताओं को यथोचित रूप से सेवा प्रदान की जाती है और सर्वांगीण जोखिम टाले जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) परिचालनों में पारदर्शिता, विशेष रूप से संबद्ध रिश्तेदारों में ऋण प्रदान करने के संबंध में, (ii) बोर्डों के व्यावसायीकरण सहित कंपनी संचालन मानक और बैंकों में प्रचलित मानकों के अनुरूप 'सुयोग्य और उचित' मानदंड सुनिश्चित करना, (iii) एजेंटों को भारी कमीशन दर देने से बचना, (iv) एक ऐसी

[5] रिपोर्ट के अध्याय II की पाद टिप्पणी 1 देखें।

बाक्स VI.2: विकास वित्त संस्था संबंधी कार्यदल - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित सिफारिशें [6]

विकास वित्त संस्था संबंधी कार्यदल (अध्यक्ष : श्री एन. सदाशिवन) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी और एनबीएफसी संबंधी विनियामक पहलुओं पर विचार किया और 10 मई 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दल को, विशेषकर, यह देखना था कि (i) क्या भारी देयतावाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को उनकी अलग श्रेणी में स्वतः लाया जा सकता है, जैसा कि विकास वित्त संस्थाओं के मामले में लागू हैं; ii) अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों की स्थिति की समीक्षा करके और विकास वित्त संस्थाओं के साथ होनेवाले समान क्षेत्र की पहचान करके एक ऐसी प्रणाली के बारे में सुझाव देना था, जिसके द्वारा इस श्रेणी की कंपनियों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की किसी एक परिभाषित किये जाने योग्य श्रेणी में लाया जा सके।

कार्यदल ने पाया कि चूंकि सार्वजनिक जमाराशि न लेनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक की विनियामक सीमा से बाहर रखना है, अतः सभी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सर्वांगीण महत्व की दृष्टि से उनपर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। दल ने सिफारिश की है कि इस प्रयोजनार्थ रिज़र्व बैंक को प्रारंभिक उपाय के रूप में भारी सार्वजनिक जमाराशि न लेनेवाली कंपनियों के सर्वांगीण मामलों से संबंधित सभी सूचनाओं के आवधिक संकलन की प्रणाली तैयार करनी चाहिए। सूचना प्रणाली में वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के अलावा तिमाही रूप में कंपनी की आस्ति और देयताओं के विशेष विवरण, जिसमें बाजार, अंतर कार्पोरेट अंतर-कंपनी और पूंजी बाजार निवेश जोखिम से उनके संबंध पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके, और अन्य सभी संवेदनशील सूचना शामिल की जा सकती है। यह प्रणाली अपेक्षित सीमा तक सार्वजनिक जमाराशि लेनेवाली कंपनियों के लिए भी विनिर्दिष्ट की जा सकती है। कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारीशों को मानते हुए, रिज़र्व बैंक ने जनता की जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली तथा 31 मार्च 2004 को 500 करोड़ रु. या अधिक की आस्ति आकारवाली गै. बैं. लि. कंपनियों द्वारा तिमाही रिपोर्ट देने की व्यवस्था लागू की है।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के संबंध में कार्यदल का विचार था कि चूंकि रिज़र्व बैंक द्वारा अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी के विनियमन के लिए ऐसी कंपनियों के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विचार करना आवश्यक है और रिज़र्व बैंक की चिंता जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने की रही है, अतः वर्तमान संदर्भ में मौजूदा विनियामक ढांचे की समीक्षा करना आवश्यक है। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को विकास वित्त संस्था की श्रेणी में लाने के संबंध में कार्यदल का विचार था कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी और विकास वित्त संस्थाओं के बीच की विशेषताओं में कोई समानता नहीं है और अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को विकास वित्त संस्थाओं के सांचे में ढालना न तो व्यावहारिक होगा और न ही वांछनीय। जहां तक अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की अन्य श्रेणी, जैसे उपस्कर पट्टेदारी, किराया खरीद, ऋण और निवेश कंपनी, में बदलने की संभावना का प्रश्न है, कार्यदल का निष्कर्ष था कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी अपने आस्ति प्रोफाइल को इन श्रेणियों के अनुसार बदल सकते हैं। ऐसे किसी परिवर्तन के लिए कंपनियों को देयता संबंधी विनियमों, विशेषकर, सार्वजनिक जमाराशि की मात्रा पर निवल स्वाधिकृत निधि संबंधी प्रतिबंधों को अपनाने पर लागू करना होगा। फिर भी, कार्यदल ने इस बात पर ध्यान दिया कि यदि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रेणी में जाना चाहें, तो उनके लिए सार्वजनिक जमाराशि के संबंध में लागू विनियमों का तत्काल अनुपालन करना संभव नहीं होगा और विनियामक छूट आवश्यक होगी।

कार्यदल का विचार था कि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी का अपने वर्तमान सांचे में बने रहना वांछनीय नहीं होगा क्योंकि शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों में जमाराशि की असीमित वृद्धि अभी भी जमाकर्ताओं के हित के लिए गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है। अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा सार्वजनिक जमाराशि के संग्रहण के लिए निवल स्वाधिकृत निधि के संबंध में अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए। यह अधिकतम सीमा सभी जमाराशियों के बजाए सार्वजनिक जमाराशि के लिए होगी, जिन पर वर्तमान विनियम लागू होंगे। प्रारंभिक उपाय के रूप में, अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा जुटाई जानेवाली सार्वजनिक जमाराशि पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए, जो निवल स्वाधिकृत निधि के 16 गुना होनी चाहिए और उसके साथ यह निर्देश भी दिया जाना चाहिए कि अंततः अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लागू सार्वजनिक जमाराशि जुटाने से संबंधित मानदंडों, अर्थात, सामान्यतः निवल स्वाधिकृत निधि के 4 गुना या 1.5 गुना, जैसा भी लागू हो, का अनुपालन करना होगा। दल का यह भी विचार है कि ऐसी संक्रमण अवधि अधिमानतः 5 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, यद्यपि अवधि का विस्तार अन्य कारणों के साथ-साथ संबंधित अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा पहले से की गई जमा संविदा से उत्पन्न भावी नकदी प्रवाह और उनके परिचालन में निर्धारित लागत के स्वरूप के कारण अनिवार्य हो सकता है। निधि के विनियोजन के लिए अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को निवल स्वाधिकृत निधि के संबंध में जमाराशि की अधिक सीमा क्रमिक रूप में कम की जा सकती है और आनुपातिक रूप में क्रमिक वृद्धि की विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि संक्रमण अवधि पूर्ण होने पर अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी को अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू जमाराशि और अन्य निधि का उपयोग करने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते समय सार्वजनिक जमाराशि जुटाने से संबंधित मानदंडों का पालन कर सकें।

अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों के संविभाग के आस्ति पक्ष से संबंधित सिफारिश के संबंध में कार्य दल का विचार था कि सरकारी वित्तीय संस्था सहित किसी भी कंपनी/संस्था द्वारा जारी असूचीबद्ध और अश्रेणी निर्धारित बांड निवेश का भाग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, असूचीबद्ध लेकिन श्रेणी निर्धारित बांड और डिबेंचरों में निवेश ऋण प्रतिभूतियों में उनके कुल निवेश के केवल 5 प्रतिशत की सीमा तक होना चाहिए। पूंजी बाजार, वास्तविक संपदा, असूचीबद्ध लेकिन श्रेणी निर्धारित प्रतिभूतियों और इक्विटी उन्मुखी म्युचुअल फंड के यूनिटों में निवेश जोखिम के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा उपयुक्त अधिकतम सीमा निर्धारित की जा सकती है।

नियंत्रित ब्याज दर व्यवस्था से हटने की सतर्कता नीति को ध्यान में रखते हुए कार्य दल ने अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली न्यूनतम नियत ब्याज दर हटाने का सुझाव दिया । चूंकि अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनी की आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर में भारी वृद्धि होने की आशा की जाती है, इसलिए कार्य दल ने सुझाव दिया कि परिपक्वता के समय लगाए जानेवाले सेवा प्रभार की क्षतिपूर्ति के लिए जमाकर्ताओं को उच्चतर प्रतिलाभ का लाभ दिया जाए। कार्य दल का यह भी विचार था कि किस्तों की वसूली के लिए कमीशन का स्वरूप और एजेंसी करार समान होना चाहिए। बीच में ही जमाराशि बंद करने की प्रथा को रोकने के लिए एजेंसी करार में एक शर्त भी होनी चाहिए।

प्रणाली के जरिये 'अपने ग्राहक को जानिये' का पालन करना जो उनके अपने कारोबार से सुसंगत हो, परंतु इस पर विनियामक की बारीक नजर हो, और (v) क्षेत्रगत एजेंटों से पहचान योग्य संपर्क के स्पष्ट उल्लेख के साथ ग्राहक सेवा ताकि दावा न की गयी जमाराशियों जैसे मामलों का उचित रूप से हल निकाला जा सके। उपर्युक्त के संदर्भ में आरएनबीसी द्वारा की जानेवाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

[6] रिपोर्ट का बाक्स V.1 देखें।